न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 125/2013–14

श्री संजय
–बनाम–
सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून आदि

उपस्थितिः **श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।**

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : **डी0आर0 तिवारी।**
अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : **श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता**

बावत
मौजा डाण्डा लखौण्ड, परगना परवादून
तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा विविध वाद संख्या–04/2013–14 सरकार बनाम धर्म सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 04–03–2014 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), देहरादून/शासकीय अधिवक्ता गो0फा0, देहरादून द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 के अनुपालन में विपक्षी धर्म सिंह के भूमिधरी खाता संखय–105 के खसरा संख्या–444 रकबा 0.9840 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.9950 है0 भूमि स्थित मौजा डाण्डा लखौण्ड, परगना परवादून की भूमि वाद संख्या–37/96–97 सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट में पारित निर्णय दिनांक 21–08–97 द्वारा राज्य सरकार में निहित कर दी गई। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–08–97 के विरूद्व गोल्डन फारेस्ट कम्पनी द्वारा मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2000 द्वारा स्वीकार कर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–97 अपास्त कर दिया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका में चुनौती दी गई। मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय ने निर्णयादेश दिनांक 21–12–2005 के द्वारा निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 प्रस्तुत की गई जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात सिविल अपील के रूप में दर्ज की गई जिसका ज्ञान विपक्षीगण को भली–भांति था। विपक्षीगण द्वारा मा0 न्यायालय से यह तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा एस0एल0पी0 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है छिपाकर मा0 उच्च

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—11—2005 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में राज्य सरकार का नाम विधि विरूद्व रूप से निरस्त कराकर अपना नाम दर्ज करा लिया। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 11—04—2011 के द्वारा समस्त सिविल अपील स्वीकार कर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21—12—2005 एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 24—11—2000 अपास्त कर मा0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21—08—97 के विरूद्व योजित निगरानियों को विधि के प्राविधानों के अनुसार समस्त पक्षकारों को सुनने के पश्चात उचित आदेश पारित करने हेतु मा0 राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मा0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—08—97 वर्तमान में प्रभावी है जिस कारण वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण का नाम निरस्त कर राज्य सरकार का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाना है। प्रतिपक्षीगण की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने वादग्रस्त भूमि से धर्म सिंह ठाकुर आदि का नाम निरस्त कर राज्य सरकार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने के आदेश दिनांक 04—03—2014 पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि पर लगभग 20 वर्षों से काबिज है। निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त सम्पत्ति का पंजीकृत इकरारनामा सम्पत्ति के मूल भूमिधर श्री धर्म सिंह ठाकुर व यशपाल सिंह जौली से दिनांक 23—01—95 को किया हुआ था जिसका इन्द्राज कार्यालय सब रजिस्ट्रार, देहरादून में दिनांक 23—01—95 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है तथा इकरारनामे के पश्चात उपरोक्त भूमिधरों के पूर्ण भुगतान करके विवादित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया था तथा बन्दोबस्त के दौरान धर्म सिंह व यशपाल सिंह ने वितरित की जाने वाली पर्ची खतौनी में निगरानीकर्ता का नाम विधिवत कब्जेदार दर्ज करा दिया था। निगरानीकर्ता प्रश्नगत भूमि की अग्रिम धनराशि अदा कर दी थी तथा बैनामे की तिथि नियत कर दी थी। निगरानीकर्ता के प्रतिनिधि के मन में खोट आ गया तथा उसने निगरानीकर्ता की अनुमति के बिना मूल भूमिधरों से मुख्तारनामा बनवा लिया व अवैध रूप से गोल्डन फारेस्ट के हक में बैनामा कर दिया जिसकी जानकारी मूल भूमिधरों को नहीं थी। निगरानीकर्ता ने मूल भूमिधरों से इस तथ्य की जानकारी चाही तो उनके द्वारा इस बात से इन्कार किया गया कि उनके द्वारा गोल्डन फारेस्ट से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गई है और इकरारनामे के विरूद्व कोई भी बैनामा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्तारेआम द्वारा निगरानीकर्ता व मूल भूमिधर से धोखा कर गोल्डन फारेस्ट के पक्ष में बैनामा निष्पादित कराया गया। प्रश्नगत भूमि सहायक कलेक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 21—08—97 से

राज्य सरकार में निहित हुई जिसके विरूद्व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में निगरानियां योजित हुई जो राजस्व परिषद, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 24–11–2000 से स्वीकार हुई व सहायक कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 21–08–97 निरस्त हुआ। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के निर्णयादेश के विरूद्व राज्य सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की जो दिनांक 21–12–2005 को निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील योजित की। राज्य सरकार ने मा0 राजस्व परिषद के समक्ष वर्ष 2011 तक कोई भी निगरानी, एस0एल0पी0, अपील इत्यादि दाखिल नहीं की गई थी तथा मूल भूमिधर यशपाल सिंह जौली ने मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका योजित की तथा इस बात का उल्लेख किया कि उसने गोल्डन फारेस्ट से कोई धनाशि प्राप्त नहीं की है तथा उसकी मंशा निगरानीकर्ता के पक्ष में बैनामा करने की थी इसलिए मा0 उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड सरकार तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को आदेशित किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2007 का अनुपालन विधिवत कराये। सहायक कलेक्टर, देहरादून ने वाद संख्या–1 वर्ष 2006–07 में अपने आदेश दिनांक 29–06–2007 से मूल भूमिधर यशपाल सिंह व धर्म सिंह ठाकुर के पक्ष में राज्य सरकार का नाम खारिज करते हुए बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए। भूमि की कीमत अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मूल भूमिधरों द्वारा बैनामा किए जाने आनाकानी करने लगे। निगरानीकर्ता ने भूमिधरों की मंशा को भांपते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी–देहरादून के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद संख्या–9 वर्ष 2009–10 धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत योजित किया तथा न्यायालय से निषेधाज्ञा भी प्राप्त की हुई है। मूल भूमिधर यशपाल सिंह ने बिना अपने सहखातेदार धर्म सिंह ठाकुर को बिना बताये अपने हिस्से का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सम्पादित कर दिया। परगनाधिकारी ने बिना क्षेत्राधिकार के निगरानीकर्ता के कब्जे व अध्यासन वाली भूमि को पुनः पुराने वाद संख्या–37 वर्ष 1996–97 के कम में पुनर्विलोकन करते हुए विवादित सम्पत्ति को पुनः राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिनांक 04–03–2014 पारित कर दिए। परगनाधिकारी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–220 का अवलोकन न करते हुए प्रस्तुत मामले में पुनः अपने ही आदेशों का पुनर्विलोकन किया है जो त्रुटिपूर्ण है। सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 21–08–97 के कम में उन सभी विवादों को संयुक्त रूप से निर्णीत करने का अन्तिम क्षेत्राधिकार राजस्व परिषद को है। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है अतः उन्हें निगरानी योजित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि के असल भूमिधर धर्म सिंह आदि थे जिनकी भूमि राज्य सरकार में वाद संख्या–04/2013 आदेश दिनांक 14–03–2014 के द्वारा निहित

कर कागजात माल में दर्ज हो चुकी है। जिस भूमि की स्वामी अब राज्य सरकार है तथा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 21–8–97 आज भी प्रभावी है जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 11–04–2011 के द्वारा प्रभावी है। निगरानीकर्ता विवादित भूमि का ना ही स्वामी है और न ही उसका नाम खतौनी में दर्ज है अतः निगरानीकर्ता को निगरानी योजित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानी कानून पोषणीय नहीं तथा खण्डित होने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–97 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 11–04–2011 के क्रम में निगरानियां राजस्व परिषद न्यायालय में विचाराधीन हैं, और वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित निगरानियों के उच्चतर न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए अवर न्यायालयों को ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करें। यह न केवल परिषद के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है, बल्कि विधितः उचित भी नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि की स्थिति परिषद में विचाराधीन निगरानियों में पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी। निगरानी के साथ प्रस्तुत उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1417–1422 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में वाद संख्या–09/2010–11 मौजा डाण्डा लखौण्ड धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लगायत 229डी संजय घई बनाम डी0एम0 ठाकुर आदि के नाम से विचाराधीन है, जिसमें निषेधाज्ञा प्रदान की गई है।

राजस्व परिषद स्तर पर निगरानियों के विचाराधीन रहते तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में नियमित वाद/घोषणात्मक वाद के चलते सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के द्वारा ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि के सम्बन्ध में पृथक से आदेश दिनांक 04–03–2014 पारित करना विधिसम्मत नहीं है। उनको चाहिए था कि प्रश्नगत कार्यवाही को भी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में नियमित वाद के साथ सुनवाई हेतु इसे स्थानान्तरित कर देते, ताकि नियमित वाद के साथ एक बिन्दु यह भी तय किया जाता। यद्यपि फसली वर्ष 1417–1422 खतौनी में निगरानीकर्ता का नाम अंकित नहीं है, लेकिन वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित उनका एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर, मसूरी के न्यायालय में विचाराधीन है तथा आदेश दिनांक 21–08–97 के विरूद्व निगरानियां राजस्व परिषद में विचाराधीन हैं, जिसमें अभी अन्तिम निर्णय पारित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2014 विधिसम्मत नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून का आदेश दिनांक 04—03—2014 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 20 मई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।